हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

18वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 16.12.1993

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनाँक-16-12-93 में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	पदनाम	उपस्थिति
1-	श्री बी०एस०लाली	अध्यक्ष, ह०वि०प्रा०	
2-	श्री नवतेजसिंह	उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा०	
3-	एम.पी. अनेजा	वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	[signature] 16.12
4-	S.F.M. Ali	S.E, U.P Housing Board Ghaziabad.	[signature] 16/12
5-	[illegible]	[illegible]	[signature] 16/12
6-	[illegible]	[illegible]	[signature] 16.12.93
7-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8-	S.N. Bhatt.	E.E. Jal nigam Hard.	[illegible]
9-	Uma Kant	D.M. / Collector Haridwar	[signature] 16/12
10-			
11-			
12-			
13-			
14-			
15-			

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनांक 16-12-93 में विचारणीय विषयों की सूची।

मद सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
§1§	विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन-	1 से 8
§2§	वार्ड नं0-8 ईश्वर कौर धर्मशाला हरिद्वार पर नगरपालिका की दुकानों के मानचित्र स्वीकृति हेतु विकास शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ-	9
§3§	आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के निर्माताओं का योगदान प्राप्त करने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त-	10
§4§	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-	
	अ- प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण एंव विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	

मद संख्या-1

विषयः **विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन-**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की विगत बैठक दिनांक 1-5-93 को सम्पन्न हुई थी । कार्यवाही की प्रतियाँ सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी थी । सदस्यों/पदाधिकारियों से आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः अनुरोध है कि विगत बैठक की पुष्टि करने की कृपा करें । विगत बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1-	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के संबंध में ।	विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सर्वे कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय । वरिष्ठ नगर नियोजक को निर्देश दिए गये कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायें ।	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि बैठक में प्रगति से अवगत करायेगें । सर्वे कार्य मौके पर चल रहा है । माह दिसम्बर,1993 के अन्त तक कार्य पूर्ण होने का समय निर्धारित है । विभाग द्वारा अव[illegible] कराया गया कि नियत समय तक सर्वे कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है
2-	नदी तटीय विकास से सम्बन्धित बाउन्ड्री के सीमांकन के संबंध में ।	विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अध्यक्ष,नगरपालिका हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0 पुनः मामले को देखें तथा अपनी संस्तुति दें ।	अध्यक्ष,नगरपालिका हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0 ने संयुक्त रूप से मायापुर से हरकी पैड़ी तक गंगा नदी के किनारे के भाग का स्थल निरीक्षण किया । मायापुर से हरकी पैड़ी तक समस्त भू-क्षेत्र आच्छादि[illegible] है । गंगा नदी और उसके किनारे बनी सड़क के मध्य 50 से 100मीटर की चौड़ाई है । भवनों के मध्य में छोटी-छोटी गलियाँ हैं। भवन पुराने और ऊँचे बने हैं । हरिद्वार में वर्ष भर चलने वाले मेले,कुम्भ/अर्द्धकुम्भ के अवर पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत होता है कि भविष्य में इन स्थानों पर होने वाले निर्माण

कार्यवाही का अनुमोदन प्राप्त
नहीं है।

प्रतिबन्धित होने चाहिए । दिनाँक ।।-।-93 की प्राधिकरण बैठक में यह निर्णय हो चुका है कि हरकी पैड़ी के धार्मिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए उसके आस-पास भविष्य में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण की अनुमति न दी जाय । एफ0ए0आर0 0.6 ग्राउण्ड कवरेज 30% तथा अधिकतम् दो मंजिले भवन ही अनुमन्य हों। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

3- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में कालौनी विकसित करने के संबंध में ।

आवास विकास परिषद् के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने के कारण उनके द्वारा महायोजना का उलंघन करने का स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि संयुक्त सचिव,आवास शासन स्तर पर इस कार्य को देखेंगें और महायोजना का उलंघन करने वालों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करायेंगें ।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक ।-5-93 में की गयी चर्चा के सन्दर्भ में आवास आयुक्त ने अवगत कराया कि हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना अन्तिम रूप से अधिसूचित होने के पूर्व ही आवास विकास कालौनी का ले-आउट अन्तिम किया जा चुका था । आवास विकास परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत जिन नगरों में परिषद् द्वारा योजना संचालित की जा रही है अथवा योजना का राजकीय गजट में प्रकाशन किया जा चुका है,में अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा/ले-आउट पास करने का अधिकार परिषद् को है । परिषद् ने आवास विकास कालौनी में मानचित्र स्वीकृत करने में कोई अनियमितता नहीं की है । मौके पर बी0एच0ई0एल0 मोड़ पर व्यावसायिक भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । निर्माण हेतु अन्य कोई भू-खण्ड शेष नहीं है । परिषद् एक शासकीय संस्था है । प्रस्ताव है कि भविष्य में हिदायत के साथ प्रकरण समाप्त किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है ।

को पैदाइश को अनुमोदन
प्राप्त नहीं है।

4- दूधाधारी तिराहे से आगे हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर से घटा कर 30 मीटर किए जाने के संबंध में ।

दूधाधारी तिराहे से आगे हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग की चौड़ाई महायोजना में 60 मीटर प्रस्तावित थी,के स्थान पर 25 मीटर किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने हेतु बोर्ड की बैठक दिनाँक 11-1-93 में अनुमोदित किया गया था । गत बैठक दिनाँक 1-5-93 में इस बिन्दु पर विचार विमर्श के दौरान लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह कथन किया गया कि मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर है तो म0यो0 25 मीटर करना कहाँ तक उचित होगा । अध्यक्ष महोदय ने लो0 नि0वि0 से मौके एवं अभिलेखों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिए ।

लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड,ऋषिकेश ने अभिलेखों के आधार पर मार्ग की चौड़ाई निम्न प्रकार सूचित की है -

1- दूधाधारी आश्रम के सामने-	25.30 मी0
2- जयराम आश्रम के निर्माण के सामने-	25.30 मी0
3- सत्यम् विहार कालौनी के समीप-	25.30 मी0
4- शान्ति कुन्ज के सामने-	24.39 मी0
5- टौल बैरियर के समीप-	24.39 मी0

मौके पर मार्ग की चौड़ाई,लोक निर्माण विभाग के अनुसार 24.40 से 27.45 मीटर उपलब्ध है । अतः प्रस्ताव है कि मार्ग की चौड़ाई महायोजना में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही का अनुमोदन

प्राप्त नहीं है

5- आवासीय भवनों/भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन संबंधी शासन के नये निर्देशों के अनुपालन के अनुमोदन के संबंध में ।

विगत बैठक में प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवनों/भूखण्डों के पंजीकरण तथा आवंटन के सम्बन्ध में शासन द्वारा मार्ग दर्शक सिद्धांत इस निर्देश के साथ जारी किए हैं कि सभी सम्बन्धित अभिकरण अपने विभाग में लागू करें । वर्तमान में लागू व्यवस्था में इन मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में किसी संशोधन की आवश्यकता हो,तो तद्नुसार संशोधन कर दिए जायं । यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । बैठक में यह निर्देश दिए कि मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की प्रतियाँ सभी सदस्यों को प्रेषित कर आपत्तियों/सुझाव प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायं ।

निर्णय के अनुपालन में सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को आवासीय भूखण्डों/भवनों का पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की प्रतियाँ प्रेषित की गयीं । निम्नलिखित सदस्यों/पदाधिकारियों से सुझाव/आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं-

1- उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
2- अध्यक्ष,नोटिफाइड एरिया,मुनि की रेती,ऋषिकेश ।
3- विशेष सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग,उ0प्र0 लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी,हरिद्वार ।
5- संयुक्त सचिव,वित्त,उ0प्र0 लखनऊ ।

संयुक्त सचिव,वित्त(व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6,जिलाधिकारी, हरिद्वार,विशेष सचिव,उत्तरांचल विकास विभाग ने कोई आपत्ति प्रेषित नहीं की है । अध्यक्ष,नोटिफाइड एरिया ने अवगत कराया कि प्रस्तावित मार्गदर्शक सिद्धान्तों को लागू किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक ने अवगत कराया कि मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप यदि किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो,तो तत्सम्बन्धी संशोधन प्राधिकरण बैठक में रखकर लागू किए जा सकते हैं । सदस्यों से प्राप्त सुझाव/आपत्तियाँ एवं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः मार्ग दर्शक सिद्धान्त यथा प्राप्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही को अनुमोदन
प्राप्त नहीं है

6- हरिद्वार विकास प्राधिकरण के नाम में परिवर्तन पर विचार ।	विगत बैठक में हरिद्वार विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर हरिद्वार-ऋषिकेश विकास प्राधिकरण§एच0आर0डी0ए0§रखने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया था । समया-भाव के कारण आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिए गए थे ।	इस प्रकरण पर प्रस्ताव है कि वर्तमान में ऋषिकेश की जनता हरिद्वार विकास प्राधिकरण के नाम में परिवर्तन पर बल नहीं दे रही है । अतः प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किए जाने की संस्तुति की जाती है ।
7- शासन द्वारा प्रेषित भवन उपविधि प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में ।	शासन द्वारा प्रेषित भवन उपविधि संख्या 8605/9आ-5-92 दिनाँक 12-1-93 अनुमोदन हेतु गत बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की गयी थी । निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के संशोधन के अतिरिक्त प्रस्ताव हेतु सभी सदस्यों को प्रारूप भेजकर सुझाव प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जायें ।	निर्णयानुसार दिनाँक 12-1-93 को शासन द्वारा प्रेषित प्रस्तावित भवन उपविधि सभी सदस्यों को सुझाव हेतु प्रेषित की गयी । निम्न-लिखित सदस्यों के सुझाव/संशोधन प्राप्त हुए- 1- अध्यक्ष,नोटिफाइड एरिया,मुनि की रेती ऋषिकेश का कहना है कि यह क्षेत्र पर्वतीय है । भौगोलिक,आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में नयी उपविधियाँ लागू किया जाना जनहित के प्रतिकूल है । वर्ष-1988 से स्थापित उपविधियों के अनुसार कार्य किया जाय । 2- अनुसचिव,आवास अनुभाग-5,उ0प्र0 शासन ने यह सूचित किया है कि शासन द्वारा भेजी गयी भवन उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो,तो प्राधिकरण बैठक में विचार कर शासन के अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु भेजें ।

कार्यवाही को अनुपालन
प्राप्त नहीं है।

3- दिनाँक 12-1-93 की शासन द्वारा प्रेषित नई भवन उपविधियों को सुझाव/आपत्तियों हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक को भेजा गया उन्होंने दिनाँक 12-1-93 की उपविधियों पर हरिद्वार के परिपेक्ष्य में कोई सुझाव न देते हुए शासन द्वारा प्रस्तावित दिनाँक 12-1-93 की भवन उपविधियों पर समग्र रूप से तैयार किए गये अपने सुझावों को इस निवेदन के साथ प्रेषित कर दिया कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हरिद्वार विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा समग्र रूप से तैयार की गई संशोधित भवन उपविधियों में कोई संशोधन चाहता है तो प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय । समग्र रूप से तैयार की गई संशोधित भवन उपविधियाँ भी प्राधिकरण के माननीय सदस्यों को विचारार्थ प्रेषित किया गया । अभी तक किसी सदस्य के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः संशोधित भवन उपविधियाँ हरिद्वार की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों सहित प्राधिकरण के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि इनको प्राधिकरण में ग्रहण करने एवं शासन को गजट में प्रकाशन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाय ।

8- अनाधिकृत निर्माण संबंधी वादों का निस्तारण पुरानी शमन उपविधि के अनुसार करने के संबंध में ।	विगत बैठक में प्रस्तुत शमन उपविधि की दरों को अधिक बताते हुए निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0 एवं अध्यक्ष, नगरपालिका,जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।	अपराधों के शमन की शासन से प्राप्त उपविधियों में संशोधन हेतु जनप्रतिनिधियों से सुझाव/संशोधन प्राप्त किए गये । अध्यक्ष,नोटिफाइड एरिया, अध्यक्ष,नगरपालिका,हरिद्वार, महामन्त्री प्रदेश जनता दल ने संशोधन/सुझाव प्रेषित किए । जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किए गये संशोधन प्राधिकरण के समक्ष पृथक् से विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।
9- ऋषिकेश मुनि की रेती में आवासीय भवनों के निर्माण की अनुज्ञा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में विचार ।	विगत बैठक में यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया था । परन्तु समयाभाव के कारण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे । दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने अथवा छोटी-छोटी दुकानें बनाने के लिए केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा सूचना दिया जाना पर्याप्त माना जाय,आदेश पारित हुआ । प्रान्तीय मार्गों,लो0नि0वि0 के मार्गों के किनारे होने वाले निर्माणों का मानचित्र स्वीकृत कराया जाना,दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अनिवार्य है । ऋषिकेश मुनि की रेती	हरिद्वार विकास प्राधिकरण की विशेष भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं । विकास क्षेत्र लक्ष्मण झूला से बहादराबाद तक उत्तर-दक्षिण दिशा लम्बाई में एक संकरी पट्टी के रूप में है, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है । एक ओर गंगा नदी दूसरी ओर शिवालिक पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसके विस्तार हेतु भूमि की उपलब्धता कम है । दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणके आधार पर ऋषिकेश एवं मुनि की रेती क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने में छूट दिए जाने की माँग कर रहे हैं,वह क्षेत्र वास्तव में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त शहरी क्षेत्र ही है और केवल राजस्व अभिलेखों में ही ग्राम दर्ज हैं । हरिपुर कलाँ जैसे ग्राम भी राजस्व क्षेत्र में बहुमंजिले भवन बने हुए हैं और कई आवासीय कालोनियाँ विकसित हैं । गंगा पार तपोवन राजस्व ग्राम क्षेत्र में स्वर्गाश्रम जैसे विश्व प्रसिद्ध आश्रम हैं । भविष्य में इन्हीं क्षेत्रों में विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं । यदि इन क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुज्ञा में छूट प्रदान कर दी जाती है तो इन क्षेत्रों में अनियोजित विकास हो जायेगा ।

कार्यवाही का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

इस क्षेत्र की जनता की यह माँग रही है कि आवासीय भवनों के निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी जाय,का प्रस्ताव गत बैठक में प्रस्तुत किया गया था ।

अतः प्रस्ताव है कि प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही को अनुमोदन
प्राप्त नहीं है

मद संख्या- 2

विषय: वार्ड नं0 8 ईश्वर कौर धर्मशाला हरिद्वार पर नगरपालिका की दुकानों के मानचित्र स्वीकृति हेतु विकास शुल्क लिए जाने के संबंध में विचार

नगरपालिका हरिद्वार द्वारा दिनाँक 26-11-92 को एक मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में जमा किया गया । प्राधिकरण द्वारा रूपये 39,120=00 जमा करने हेतु नगरपालिका को सूचित किया गया । नगरपालिका ने अपने पत्र संख्या 288/नि0वि0/92-93 दिनाँक 9-2-93 द्वारा यह अनुरोध किया कि यदि राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी की विकास योजनाओं पर विकास शुल्क देय है तो यह विषय आयुक्त/अध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण,मेरठ को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया जाये तथा निर्णय की प्रत्याशा में प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाय । उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि विकास शुल्क देय होगा तो पालिका उसको जमा करा देगी ।

उपरोक्त प्रकरण पत्र संख्या 3057/म0यो0-3§क§मान/विविध/92-93 दिनाँक 11 फरवरी-1993 के द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया । दिनाँक 18-2-93 को प्रश्नगत मानचित्र स्वीकृत किया गया । इस सम्बन्ध में आयुक्त,मेरठ मण्डल द्वारा पत्र दिनाँक 17-5-93 में यह निर्देश दिए कि यह विषय प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय । अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष इस आशय से विचारार्थ प्रस्तुत है कि देय विकास शुल्क नगरपालिका हरिद्वार से जमा कराया जाये अथवा नहीं ।

कार्यवाही का अनुमोदन
प्राप्त नहीं है

मद संख्या-3

विषय: आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के निर्माताओं का योगदान प्राप्त करने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त

शासन के पत्र संख्या 1386/37-1-93-13 विविध/93 दिनांक 9 जौलाई 1993 के अन्तर्गत निर्देश दिए गये हैं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से प्राप्त मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाय और इस संबंध प्राधिकरण की नीति तय करा ली जाय । मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में निर्देश दिए गये हैं कि विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में भूमि के आवंटन हेतु निजी क्षेत्र के निर्माताओं का पंजीकरण कर भूमि उपलब्ध कराई जाये, जिस पर निजी निर्माताओं द्वारा आवासीय भूखण्ड या आवासीय भवनों का विकास करें । सम्पत्तियाँ आवेदकों को उपलब्ध कराई जाय, प्राधिकरण आवासीय योजना की कुल भमि का 50% न्यूनतम एक एकड़ अधिकतम 20 एकड़ क्षेत्रफल पंजीकृत निर्माताओं को लाटरी पद्धति से लाइसेंस पर देंगे । स्थल विकास में वाह्य विकास व्यय से सड़क,नाली,सीवरेज,विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जायेगा तथा आन्तरिक विकास कार्य निजी निर्माताओं द्वारा किया जायेगा । निजी निर्माताओं का पंजीकरण केन्द्रीय रूप में आवास आयुक्त द्वारा किया जायेगा । निजी निर्माताओं से भूमि का कुल मूल्य 4 त्रैमासिक किस्तों में किया जायेगा । विलम्ब से भुगतान की स्थिति में किस्तों पर 21% सालाना ब्याज देय होगा । निजी निर्माता भूमि का ले-आउट एवं भवन डिजाइन प्राधिकरण से अनुमोदित करायेंगे । निजी निर्माता आन्तरिक विकास की बैंक गारन्टी जमा करायेंगे । निर्मित सम्पत्तियों का आवंटन विकास प्राधिकरण से कार्य समाप्ति से पूर्व नहीं किया जायेगा । आन्तरिक सेवाएं- सड़कें तथा पार्कों का पूर्ण विकास होने के पश्चात् हस्तान्तरण सम्बन्धित विभाग को कर दिया जायेगा ।

मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की छाया प्रति संलग्न है । प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मुख विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही को अनुमोदन

नहीं किया है

सह संख्या-4,

विषय-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय-

	पृष्ठसंख्या
1- प्राधिकरण द्वारा कराये गये/कराये जा रहे कार्यों का विवरण-	1 से 9
2- प्राधिकरण में पड़ी अनिस्तारित सम्पत्तियों का विवरण-	10 से 11
3- सहगल पैट्रोल पम्प के पीछे, बराबर तथा पालिका दुकानों के पीछे स्थित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	12

कापीराईटका अनुमोदन
नहीं [illegible]

10-	126 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण	23.94	70नं0	-	-	-
11-	उच्च जलाशय का निर्माण	5. 70	—	—	—	— डिजाइन कार्य प्रगति
12-	पानी की लाईन	2.62	—	—	—	—
योग-		123.694	—	—	16.484	—
§डी0§-ऋषिकेश						
1-	18सी0टाईप भवनों का निर्माण	51.13	18नं0. फिनिशिंग कार्य शेष	90%	28.78	56.19%
2-	टी0एच0डी0सी0 में नाली, पुलिया	8.13	800 मी0	100%	4.04	48.99%
3-	टी0एच0डी0सी0 में सड़क निर्माण	4.61	250मी0	100%	1.32	28.63%
4-	टी0एच0डी0सी0 में पार्क निर्माण	1.50	एक	100%	1.32	85.71%
5-	टी0एच0डी0सी0 में सामुदायिक केन्द्र/ शापिंग सेन्टर का निर्माण	17.59	18 दुकान व एक सामुदायिक	95%	11.05	54.00%
6-	ऋषिलोक में सड़क मरम्मत व प्रीमिक्सिंग का कार्य।	1.26	200 मी0	100%	1.26	100%
योग-		82.96	-	-	46.51	-
महायोग-§योजना§		251.07	-	-	79.09	-
कुल महायोग		303-98	-		117-13	-

वित्तीय वर्ष-93-94 में चालू योजनाओं के कार्य

§डी0§

1-	रेलवे क्रासिंग से शिवलोक-3 तक सड़क	1.64	180मी(×4मी0	50%	0.26	15.85%	
2-	शिवलोक-3 में आन्तरिक विद्युतीकरण	-	1345मी0	--	--	--	प्रगति माननीय
3-	पार्क का निर्माण	2.19	6नं0	--	--	--	उच्च न्यायालय
4-	नाली,पुलिया	7.00	2624मी0,20नं0	--	--	--	के स्थगन आदेश
5-	सड़क निर्माण	5.75	1345 मी0	--	--	--	से प्रभावित
6-	सीवर का कार्य	5.68	1345 मी0	--	--	--	--तदैव--
7-	पानी की लाईन	--	1345 मी0	--	--	--	--तदैव---
	योग-	22.26	--	--	0.26	--	--

§सी0§

1-	हरिलोक में सड़क निर्माण	11.47	2830मी0में से 2500मी0 में सोलिंग का निर्माण 100% गिट्टी पूर्ण	40%	3.18	27.72%	-
2-	हरिलोक मे जंगल सफाई एवं भूखाण्ड/भवनों का सीमांकन।	0.084	19.04एकड में सफाई	100%	0.084	100%	-
3-	हरिलोक में आन्तरिक सीवर का कार्य	13.75	1400मी0	60%	2.33	15%	-
4-	पार्क में वृक्षारोपण/तारवाड	0.23	4नं0 पार्क	90%	0.15	65.21%	-
5-	ट्यूबवैल निर्माण	9.22	1नं0	95%	9.22	100%	जल निगम द्वारा
6-	हरिलोक में आन्तरिक आन्तरिक विद्युतीकरण	8.94	80 पोल विद्युत लाईन की फिक्सिंग	50%	1.52	17%	-
7-	उच्च आय वर्ग भवनों का निर्माण	7.04	4नं0	--	--	--	टी0एण्ड पी0 एवं लेबर की व्यवस्था प्रगति में
8-	मध्यम आय वर्ग भवनों का निर्माण	25.47	22 नं0	--	--	--	--
9-	अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण	15.23	24नं0	--	--	--	-

योजनाओं से सम्बन्धित पूर्ण हुये निर्माण एवं विकास कार्य (93-94).

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाखमें)	कार्य की भौतिक प्रगति		कार्य की वित्तीय प्रगति		अन्य वि
			ल0चौ0/संख्या	प्रतिशत	भुगतान का दिनांक(लाखमें)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(ए)						
1-	शिवलोक-2 में हरिजनबस्ती में शौचालयों का निर्माण ।	0.21	2 सीटर	100%	0.21	100%	
2-	नगरपालिका को ट्रासफारमर का क्रय	0.53	1नं0	100%	0.53	100%	
3-	शिवलोक में विद्युत संयोजन	5.31	ट्रासफारमर की फिक्सिंग	100%	5.31	100%	
4-	शिवलोक में विद्युत सबस्टेशन का निर्माण (कमरा)	0.46	1नं0	100%	0.46	100%	
5-	सोडियम लैम्प लगाये जाने का कार्य	0.083	4नं0	100%	0.083	100%	
6-	6एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण	6.65	पिलन्थ लेविल तक	30%	---	—	
7-	18इ0डब्लु0एस0भवनों का निर्माण	—	पूर्व वित्तीय वर्ष के कार्य ।	100%	0.24	100%	
8-	पानी की लाईन	--	--तदैव--	100%	0.05	100%	
9-	पार्क का निर्माण	--	--तदैव--	100%	3.18	100%	
10-	नाली निर्माण	--	--तदैव--	100%	4.37	100%	
11-	12 एच0आई0जी0 भवनों का निर्माण	--	--तदैव--	100%	1.40	100%	
योग-		13.243	-	-	15.833	-	

4- लक्ष्मणझूला, मुनिकीरेती, ऋषिकेश ऋषिलोक कालोनी में बैंचो, उज्जैन नगरे, ऋषिलोक में तारवाड, लक्ष्मणझूला में विजली फिटिंग इत्यादि ।	0.32	15 वैच	90%	0.30	93.75%
योग-	12.15	-	-	1.93	-
महायोग-	43.57			20.08	

							(5)
(बी0)							
1–	श्रवणनाथ पार्क का सौन्दर्यीकरण	7.59	चारदीवारी, फव्वारा, मुख्यद्वार व पौधे	60%	3.84	51%	
2–	सतीकुण्ड का सौन्दर्यीकरण	8.44	(5मी0घाट, 30मी0 रिटेनिंगवाल, 45मी0 व्यास में स्टोन पिचिंग	80%	6.73	73%	
योग–		16.03	–	–	10.87	–	
(सी0)–ऋषिकेश							
1–	ग्राम जौक में सुलभ का निर्माण	1.76	8सीटर	90%	1.67	94.88%	सुलभद्वारा
2–	गंगा नगर में खाण्डजा	0.89	260मी0	80%	–	–	पुन%मरम्मत के कारण लम्बित।
योग–		2.65	–	–	1.67	–	
(डी0)							
1–	नटराज चौराहे का सौन्दर्यीकरण	2.22	3मी0व्यास में फूलपत्ति, आइलैण्ड का निर्माण	80%	1.46	65.76%	
2–	मुनिकीरेती में कार पार्किंग	9.35	76मी0	40%	—	—	पुन/डिजाइन आवश्यक
3–	त्रिवेणीघाट में विद्युतीकरण	0.26	5 सोडियम व विद्युत लाईट	95%	0.17	65.38%	

वित्तीय वर्ष–93–94 में चालू विकास कार्य

(4)

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति ल0चौ0/संख्या	प्रतिशत	कार्य की वित्तीय प्रगति भुगतान का धनांक(लाखमें)	प्रतिशत	अन्य विवरण
(ए)							
1–	कडच्छ ज्वालापुर में सडक निर्माण	0.46	90×2मी0	90%	0.36	78.26%	
2–	ज्वालापुर इण्टर कालेज में प्रकाश व्यवस्था	0.123	6ट्यूब, 1पोल	95%	0.115	93.5%	
3–	पालीवाल गली में सडक	0.756	125×3मी0	85%	0.52	68.78%	
4–	भैरो मंदिर कनखल में सीवर, सडक, नाली	0.746	80×3मी0	50%	0.30	40.21%	
5–	भागीरथी नगर में खण्डजा	1.51	500×5 मी0	90%	1.26	83%	
6–	तेलियान में सडक व नाली	1.46	300×6.8मी0	10%	–	–	
7–	बिल्केश्वर में सी0सी0 सडक	0.45	137×2.2मी0	50%	–	–	
8–	जोतियान में सी0सी0 सडक, नाली	0.33	170×2मी0	60%	–	–	
9–	श्रीराम नगर कालोनी में सडक	0.87	155×3.6 मी0	10%	–	–	
10–	शास्त्रीनगर में खण्डजा	1.816	120×5मी0	10%	0.10	5.5%	निवासियों द्वारा खडंन्जा कार्य बन्द कराया
11–	बस स्टेण्ड पर सामान गृह निर्माण	0.57	1 नं0	50%	0.23	40.35%	
12–	दक्षमंदिर में सुलभ शौचालय	3.70	8 सीटर	90%	2.73	73.98%	सुलभद्वारा
योग–		12.79	–	–	5.61		

16-	ललतारा पुल/टूरिस्ट बंगले पर प्रकाश व्यवस्था	0.68	70मी0 पिलर5ट्यूब	100%	0.68	100%
		9.321			9.321	
(बी0)						
1-	पंतद्वीप घाट का सौन्दर्यीकरण	0.76	चौराहे में घासफूस, पौधे व पत्थर फ्रेंसिंग	100%	0.76	100%
2-	आचार्य बाजपेयी चौक का सौन्दर्यीकरण	0.72	—	100%	0.72	100%
3-	विभिन्न पार्कों में प्रकाश व्यवस्था	0.05	ट्यूब की फिक्सिंग	100%	0.05	100%
4-	देवपुरा तिराहे का विकास	0.10	चारदीवारी की मरम्मत, व पौधे	100%	0.09	100%
5-	स्वागतद्वार का निर्माण	1.18	3नं0मुख्य पहुंचमार्ग पर	100%	1.18	100%
6-	नगर वन में तारवाड का कार्य	2.59	57373वर्गमी0क्षेत्र में	100%	2.59	100%
7-	ट्री गार्ड का निर्माण	0.29	250 ट्री गार्ड	100%	0.25	100%
8-	ज्वालापुर तिकोने पार्क का सौन्दर्यीकरण	0.50	रैलिंग, चौकीदार झोपडी व पौधे।	100%	0.50	100%
	योग	6.19			6.14	
(सी)- ऋषिकेश						
1-	शास्त्री नगर में खण्डजा निर्माण	0.84	220मी0	100%	0.84	100%
2-	मुनिकीरेती मे सुलभ शौचालय	1.50	10 सीटर	100%	1.30	100%
योग-		2.34	–	–	2.14	
(डी)						
1-	विभिन्न स्थानो पर बोर्ड, त्रिवेणीघाट पर शौचालयों की मरम्मत, लक्ष्मणझूला पर पुराने घाट की मरम्मत, त्रिवेणीघाट का सौन्दर्यीकरण प्रियदर्शनी पार्क, लक्ष्मणझूलामार्ग, त्रिवेणीघाट पर वृक्षा-रोपण आदि	0.36	–	100%	0.36	100%
		18.211	–	–	17.961	–
	महायोग-					

वित्तीय वर्ष-93-94 में पूर्ण किये गये विकास कार्य

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति		कार्य की वित्तीय प्रगति		अन्य विवरण
			ल0चौ0/संख्या	प्रतिशत	भुगतान का धनांक(लाख में)	प्रतिशत	
	(ए)						
1-	निक्कू गोदाम में खडन्जा, नाली, पुलिया	1.53	266x4मी0पुलियां,नं-3	100%	1.53	100%	
2-	परमार्थ आश्रम के सामने नाली निर्माण	0.37	83x1.4 मी0	100%	0.37	100%	
3-	भूपतवाला में बरसाती पानी का वायरकेट	1.85	66 मी0	100%	1.85	100%	
4-	अपर रोड नाले की सफाई(अन्डरग्राउन्ड)	1.00	468x2.2मी0	100%	1.00	100%	
5-	घासमंडी चौहनान में सीवर निर्माण	0.29	72.5 मी0	100%	0.29	100%	
6-	मैहतान में सी0सी0 सड़क निर्माण	0.26	42x2.7मी0	100%	0.26	100%	
7-	कस्यावान में सडक निर्माण	0.37	226x4मी0	100%	0.37	100%	
8-	जागेराम शास्त्री गली में नाली, सडक	0.62	170x5मी0	100%	0.62	100%	
9-	गोसाई गली में सी0सी0 सडक एव नाली	0.68	113x2.75मी0	100%	0.68	100%	
10-	आचार्य मनोजी गली से तपस्थली आश्रम तक प्रकाश व्यवस्था	0.17	एकपोल, 9 ट्यूब	100%	0.17	100%	
11-	रामकिशन मिशन से राजपूत धर्मशाला एवं कुम्हारगढा तक प्रकाश व्यवस्था	0.47	8पोल एवं10 ट्यूब	100%	0.47	100%	
12-	हर की पैडी की सफाई हेतु मोटर पम्प क्रय	0.408	1नं0	100%	0.408	100%	
13-	भीमगोडा में नाले की सफाई	0.118	500 मी0	100%	0.118	100%	
14-	अहबाब नगर में नाले की सफाई	0.135	650मी0	100%	0.135	100%	
15-	श्यामघाट पर विद्युतीकरण	0.37	4 पोल, 10ट्यूब	100%	0.37	100%	

अ- प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यो के संबंध में ।

वित्तीय वर्ष 93-94/में प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्यो/सौन्दर्यीकरण एवं आवासीय योजनाओं पर रूपये 388.54 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है इसके विपरीत रूपये 303.98 लाख के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिसमें से रूपये 117.13 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में सौन्दर्यीकरण कार्यो पर व्यय किए जाने हेतु रूपये 37.71 लाख का प्राविधान रखा गया है जो गत वर्ष की अपेक्षा दो गुनी है। सौन्दर्यीकरण कार्यो से संबंधित रूपये 34.73लाख की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है जिसके विपरीत रूपये 19.30 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

विकास कार्यो एवं सौन्दर्यीकरण कार्यो में नागरिक सुविधाओं में वृद्वि से संबंधित कार्य जैसे सडकें, खडन्जा निर्माण, पानी की निकासी नालियां , सीवर, प्रकाश व्यवस्था, नालों की सफाई, चैक डैम के निर्माण, चौराहें के विस्तार, पार्को का निर्माण, स्वागत द्वारों का निर्माण, दिशा निर्देश बोर्डो को लगाया जाना, वृक्षारोपण आदि सम्मिलित है। प्राधिकरण द्वारा सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत ली गयी योजनाओं में सतीकुण्ड का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लक्सर रोड़ पर धार्मिक महत्व का स्थान सती जी का कुण्ड एक जोहड़ के रूप में था, जिसमें प्राधिकरण ने अपने संसाधनों से रूपये 8.44लाख के व्यय का प्राविधान किया है। प्राधिकरण की सतीकुण्ड को एक दर्शनीय व पूज्यनीय स्थल बनाने की योजना है। इस पर अब तक 6.73 लाख व्यय किया जा चुका है। पार्क में फुलवारी, फुव्वारा व बच्चों के खेल कूद का सामान लगाने की योजना है। शासन द्वारा संचालित नगर वन योजना में प्राधिकरण द्वारा रूपये 2.59 लाख व्यय कर तारबाड़ लगवायी गयी है। भूपतवाला में चैक डैम का निर्माण कर बरसाती पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था कर आम नागरिकों को राहत दिलायी गयी । कनखल में आचार्य वाजपेयी चौक का जीर्णोद्वार कराया गया । देवपुरा चौराहे पर स्थित पार्क को गुलाब वाटिका में परिवर्तित किया गया। प्राधिकरण ने हरिद्वार में 19.04 एकड़ भूमि पर एक प्रतिष्ठित हरिलोक आवासीय योजना अप्रैल 1993 में प्रारम्भ की है जो रूपये 726.53 लाख की अनुमानित है । योजना में तेजी से विकास कार्य कराये जा रहे हैं। जिसमें सीवर लाईन का 60% सडक 40%, भूखण्ड एवं भवन का सीमांकन का कार्य 100%, बिजली की लाईन का कार्य 50%, ट्यूबवैल का निर्माण 95% पार्को का निर्माण 90% पूर्ण किया जा चुका है। शिवलोक भाग दो में अवशेष अल्प आय वर्ग के 6 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

ऋषिकेश में नटराज चौराहे का रूपये 2.22 लाख व्यय कर सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। त्रिवेणीघाट का विद्युतीकरण प्राधिकरण ने किया है। मुनि की रेती में कार पार्किंग स्थल का विकास किया जा रहा है जिस पर रूपये 10.00 लाख व्यय की संभावना है। ग्राम जौंक व मुनि की रेती में सुलभ शौचालयों के निर्माण का कार्य 90% पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश में अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण, बैंचों का निर्माण कराया गया। योजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न है।

कार्यवाही को अनुमोदन
नहीं किया है

ब- **हरिद्वार विकास प्राधिकरण में पड़ी अनिस्तारित सम्पत्तियों का विवरण**

शासन के पत्र संख्या 5948/9आ-5-93-540डी0ए/93 आवास अनुभाग-5 दिनांक 24 नवम्बर 1993 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विकास प्राधिकरण में अनिस्तारित पड़ी सम्पत्तियों के निस्तारण न होने के कारण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के प्रतिदान न हो पाने के कारण वित्त की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी अनिस्तारित पड़ी सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु नियमानुसार निर्णय लेकर तद्नुसार कार्यवाही की जाए तथा की गयी कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय। शासनादेश के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने प्रारम्भ से अब तक जो भी आवासीय योजनायें संचालित की हैं और उनमें जो परिसम्पत्तियों सृजित की गयी हैं उनमें से जो अनिस्तारित है उनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	आवासीय योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	अनिस्तारित सम्पत्ति का विवरण	
			भवन	भूखण्ड
1.	शिवलोक भाग-1	1-ई0डब्ल्यू0एस0 भवन	2	--
2.	शिवलोक भाग-2	2-एच0आई0जी0भवन	3	--
		3-ई0डब्ल्यू0एस0भवन	20	--
3.	ऋषिलोक योजना	4-एम0आई0जी0भवन	6	--
		5-एल0आई0जी0भवन	1	--
4.	हरिलोक योजना	एच0आई0जी0 प्लाट	-	9
		7-एम0आई0जी0प्लाट	-	2
		8-एल0आई0जी0प्लाट	--	4
		9-एच0आई0जी0भवन	25	--
		10-एम0आई0जी0भवन	24	--
		11=एल0आई0जी0भवन	26	--
		योग	107	15

अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(स) सहगल पेंट्रोल पम्प की पीछे एवं बराबर तथा पालिका की निर्मित दुकानों के पीछे स्थित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में

अध्यक्ष , नगर पालिका , हरिद्वार ने अपने पत्र दिनांक 23.09.93 जो आयुक्त महोदय को संबोधित तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया है कि नगर पालिका की भूमि जिसका क्षेत्रफल 6506.04 मीटर है जो सहगल पेंट्रोल पम्प के पास स्थित है हरिद्वार महा योजना में यह भूमि जी-राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय उपयोग के अन्तर्गत, को आवासीय आर-2 में परिवर्तित कराया जाय चूँकि यह स्थल वर्तमान में विकसित आवासीय क्षेत्र से सटी हुई है। इस स्थल के सामने पालिका की दुकानें निर्मित हैं एवं पीछे की ओर पालिका क्वाटर हैं, बराबर में सहगल पेंट्रेल पम्प तथा राजकीय पर्यटन होटल है। इस प्रकार यह आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है चूँकि राजकीय कार्यलय रोशनाबाद में बन रहे हैं ।

अतः नगरपालिका हरिद्वार का प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

बैंक की कार्यवाही का

अनुमोदन नहीं हुआ है